



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों
की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2019—20

प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन-देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी, संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और साथ ही साथ लेखा एवं लेन-देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का 2019-20 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों के कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा त्रितीय भाग में वर्ष 2019-20 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं को वृहत्तर विवरण के साथ वर्णित किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।



(संदीप सिंह)

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्थान: देहरादून

दिनांक: 26.10.2020

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	1
2	मुख्य अंश	3
3	भाग-1 प्रस्तावना	4 से 6
4	भाग-2 लेखा विसंगतियां	7 से 11
5	भाग-3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	12 से 26
7	परिशिष्ट - 1 से 23	27 से 68

मुख्य अंश

1.	कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	(पैरा 2.1)
2.	सहायक अनुदान के सापेक्ष में रु0 1636.69 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।	(पैरा 2.2)
3.	त्रैमासिक आय-व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां	(पैरा 2.4)
4.	वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण	(पैरा 3.1)
5.	लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ।	(पैरा 3.2)
6.	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ।	(पैरा 3.2.2)
7.	द्वितालक कक्ष से सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में।	(पैरा 3.2.4)
8.	रु 6387707/- की राशियों को शासकीय खाते से गैर शासकीय खाते में अन्तरित करना।	(पैरा 3.2.8)
9.	पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं।	(पैरा 3.3)
10.	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।	(पैरा 3.3.9)

भाग—एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड के कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

“भाग-1 : प्रस्तावना”

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रण में हैं। मण्डल/ज़िला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन-देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया है। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार है। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर ट्रेजरी एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत है तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिंग के रूप में कार्यरत हैं।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख-रखाव हेतु बैंकों में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/ सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष में काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 37.56 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2017-18	923	612	311	33.69
2018-19	923	592	331	35.86
2019-20	929	580	349	37.56

निदेशालय कोषागार की सूचना के अनुसार अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर पर कार्य करने में सक्षम हैं और सभी को IFMS का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवत हैं:-

वर्ष	कार्यरत	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण का प्रतिशत दर
2017-18	612	544	88.89
2018-19	592	537	90.71
2019-20	580	508	87.58

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

“भाग-2 : लेखा विसंगतियां”

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियां।

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है :-

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा संकलन के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों का विवरण :-

2.1.1 कोषागारों द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित मासिक लेखों के भुगतान की सूची व रोकड़ लेखा (LOP & Cash Accounts) में मुख्य लेखाशीर्ष के समक्ष दर्शायी गयी राशियों में अग्रिम माह की दिनांक 5 के बाद भी बार-बार परिवर्तन किया गया।

2.1.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) से e-data (e-voucher) डाउनलोड करने पर वाउचरों की संख्या कम पाई गई जिसे बार-बार दूरभाष वार्ता कर सही करवाया गया।

2.1.3 कभी-कभी किसी कोषागार के ई-कोष, से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल् में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है। जिसे डाटा सेन्टर से वार्तालाप के द्वारा सही करवाया गया।

2.1.4 कोषागार से प्राप्त भुगतान की सूची में अंकित मुख्य लेखाशीर्ष के सापेक्ष अंकित धनराशि, ऑनलाइन प्राप्त डाटा में स्थित वाउचर और वाउचरों की हार्ड कॉपी में अंकित धनराशि से मेल नहीं पाई गई।

2.1.5 चालान के वर्गीकरण में उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष का विवरण मुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष के सूची के अनुसार नहीं पाया गया।

2.1.6 कुछ कोषागारों से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में RBD Certificate, भुगतान की सूची व रोकड़ लेखा (LOP & Cash Accounts) के साथ प्राप्त नहीं हुआ।

2.1.7 ऑनलाइन IFMS द्वारा प्राप्त हुये सभी प्रकार के दस्तावेज (जैसे :- LOP, Cash Accounts, Vouchers) अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित नहीं किये गये थे।

2.1.8 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 535 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि की बुकींग चतुर्थ श्रेणी से भिन्न लेखाशीर्ष 8009-01-101-02 में की गई। जबकि इन प्रकरणों में सम्मिलित कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के थे। चतुर्थ श्रेणी (लेखाशीर्ष 8009-01-101-01) के होने के कारण उनकी बुकींग इस कार्यालय द्वारा लेखाशीर्ष 8009-01-101-01 में ट्रांसफर एन्ट्री

के द्वारा की गई। ऐसे प्रकरणों का कोषागार-वार विवरण परिशिष्ट-02 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-02)

2.1.9 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न के अन्तर्गत दर्ज 220 शैड्यूल, जिनकी धनराशि रू0 182289514/- है, जो कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में अप्राप्त हैं।

(परिशिष्ट-03)

2.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में रू0 1636.69 करोड़, उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण-पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	24	36.73	17	27.25	7	9.48
2018-19	122	479.16	77	389.20	45	89.96
2019-20	149	1537.25	00	00	149	1537.25
योग	295	2053.14	94	416.45	201	1636.69

2.3 मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2019-20 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सही किया गया। उक्त त्रुटियों (Misclassification) के शुद्धिकरण न करने की स्थिति में इनका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण परिशिष्ट-04 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-04)

2.4 त्रैमासिक आय-व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2019-20 के लेखा संकलन की प्रक्रिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया। अधिकांश मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन मुख्य नियंत्रक अधिकारियों के वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिलान स्थिति।

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	14	17	23	22	12	20	15	16
आंशिक मिलान	13	5	5	18	1	20	0	16
मिलान नहीं कराया	21	40	20	22	35	22	33	30
कुल	48	62	48	62	48	62	48	62
मिलान आख्या (प्रतिशत में)	56	35	58	64	27	64	31	51

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय-व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट-05** में दर्शायी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्रैमासिक आय-व्यय के आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-06** में दर्शायी गयी है।

2.5 मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना, कोषागारों से मासिक लेखों के समय पर प्राप्त होने की स्थिति पर निर्भर करता है। कोषागारों के मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के परिदृश्य में जहां जिला कोषागारों से संकलित लेखे प्राप्त किये जाते हैं, प्रत्येक माह के लेखे अगले माह की 8 तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए ताकि लेखे माह के 25 तारीख तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकें। लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में 03 से 89 दिनों तक विलम्ब से मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हुए।

वर्ष 2019-20 में सभी कोषागारों ने इसका पालन नहीं किया है, जिसके कारण राज्य सरकार को मासिक लेखे प्रस्तुत करने में देरी हुई है। कोषागारों द्वारा जिनके लेखे महालेखाकार कार्यालय में देरी से अग्रेषित किये गये, का विवरण **परिशिष्ट-07** में दिया गया है।

(परिशिष्ट-07)

2.6 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेंसी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों से प्राप्त एजेंसी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

इसी प्रकार इस कार्यालय में प्राप्त कोषागारों/उपकोषागारों के मासिक लेखों में दर्शायी गई धनराशियों एवं वी0डी0एम0एस0 की धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे कोषागारों से सम्बन्धित मासिक लेन-देन के विवरण एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त भारतीय रिजर्व बैंक के वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई।

जून-2012 से मार्च-2020 तक की अवधि में उक्त तीनों प्रकरणों में रिजर्व बैंक जमा (राज्य) के अन्तर्गत धनराशि रु 2040.92 करोड़ डेबिट तथा धनराशि रु 1947.36 करोड़ क्रेडिट, शुद्ध भिन्नता (Net Difference) धनराशि रु 93.56 करोड़ डेबिट में अवशेष हैं जिसका निस्तारण सम्बन्धित कोषागारों, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून एवं सम्बन्धित एजेंसी बैंकों एवं एफ0एस0एल0ओ0, कानपुर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

2.7 लेखाशीर्ष “1601- सहायक अनुदान” का अनधिकृत रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालन किया जाना।

मुख्य लेखाशीर्ष “1601- केन्द्र सरकार में सहायक अनुदान” भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, राज्य सरकार को दिये जाने वाले सहायक अनुदान से सम्बन्धित है। इस मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों का समायोजन महालेखाकार कार्यालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से किया जाता है। यह लेखाशीर्ष केवल महालेखाकार द्वारा संचालित किया जाता है। परन्तु वर्ष 2019-20 में पाया गया कि कोषागार उत्तरकाशी द्वारा माह मई-2019 में धनराशि रू0 3748/- को सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष में दर्ज करने के बजाय लेखा शीर्ष “1601048001112- सहायक अनुदान” में दर्ज किया गया।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में
कोषागारों के निरीक्षण
में पायी गई कमियां/
त्रुटियाँ

“भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ”

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें।

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वर्ष 2019-20 में 22 कोषागारों (19 कोषागार, 01 साइबर कोषागार, 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली एवं निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी देहरादून) एवं 55 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण (परिशिष्ट-08) में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-08)

अनुशंसा :-निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2019-20 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तारों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2019-20	138	734
वर्ष के दौरान निरीक्षण	77	618
वर्ष के दौरान निस्तारण	40	478
वर्ष के अन्त में शेष	175	874

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तारों का तीन वर्षों का विवरण:-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
2017-18 तक	62	146
2018-19	38	178
2019-20	75	550
योग	175	874

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।

3.2.1 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469- क (ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/ लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार जिला कोषागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम

कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -09)

3.2.2 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0)से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ।

(क) वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443-00-106 के अंतर्गत Self Cheque द्वारा एकमुश्त आहरण किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 121/XXVII(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 के पैराग्राफ (ख) के अनुसार विभागों द्वारा PLA खातों से एक मुश्त आधार पर सैल्फ चैक अनुमन्य नहीं होंगे लेकिन कोषागार/उपकोषागार द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन PLA से धनराशि निकालते समय नहीं किया गया। सैल्फ चैक से राशि आहरित करने से राजकीय धन का दुरुपयोग होना निश्चित है तथा पार्किंग आफ फण्ड भी संभावित है। एक मुश्त Self Cheque के माध्यम से निकासी करने का विवरण परिशिष्ट-10 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट -10)

(ख) असंचालित वैयक्तिक लेखा खाता को बन्द नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 121/XXVII(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 के अनुसार वैयक्तिक लेखा खाते, जिनमें पिछले 3 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन खातों को महालेखाकार के परामर्श से बन्द कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु कुल 13 ऐसे वैयक्तिक लेखा खाते हैं जिनमें पिछले 5 से 9 वर्षों में कोई लेन देन नहीं किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट -11 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट -11)

(ग) उपकोषागारों के अधीनस्थ विभागों के वैयक्तिक लेखा खाता का संचालन मुख्य कोषागार से किया जाना।

निम्न विभाग जो कि कोषागार/उपकोषागारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, के वैयक्तिक लेखा खाता अब भी कोषागार ऊधमसिंह नगर एवं कोषागार अल्मोड़ा से संचालित हो रहे हैं-

क्रम सं०	कोषागार	विभाग का नाम	कोषागार/उपकोषागार जिसके क्षेत्रान्तर्गत विभाग आता है
1	अल्मोड़ा	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया	रानीखेत
2	ऊधमसिंह नगर	गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर	काशीपुर

(घ) वैयक्तिक लेखा खाता मुख्य लेखाशीर्ष 8443 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष बची राशि का अभ्यर्पण न किया जाना।

राज्य समेकित निधि के अनुदानित वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443-00-106 के अंतर्गत खोले गए खातों की वित्तीय वर्ष के अंत में (31 मार्च) शेष राशि को राज्य समेकित निधि में अभ्यर्पण किए जाने का प्रावधान है। कोषागारों द्वारा निरीक्षण में कुल ऐसे आठ प्रकरण पाए गये, जिनमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त में निधि शेष था जिसे समेकित निधि में अभ्यर्पित न करके उसी वैयक्तिक लेखा खाता में अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित किया गया जो नियमानुकूल नहीं हैं, ऐसे खातों का विवरण परिशिष्ट 12 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट -12)

(ङ) वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443-00-106 के प्राधिकार पत्रों का महालेखाकार कार्यालय से नवीनीकरण न कराया जाना।

कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0)-उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा वैयक्तिक लेखा खाता संचालन हेतु जारी प्राधिकार पत्र में स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण इस खाते के संचालन हेतु अनिवार्य है तथा इस खाते का संचालन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 340(बी)11(2) के अंतर्गत होना है। यद्यपि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 121/xxvii(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 के अनुसार वैयक्तिक लेखा खाता लेखा शीर्ष 8443-00-106 को छोड़कर PLA के अन्य शीर्षों हेतु प्रति वर्ष महालेखाकार से नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। कोषागार से संचालित किए जा रहे वैयक्तिक लेखा खाता 8443-00-106 की पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि निम्न वैयक्तिक लेखा खाता धारक विभागों जो कि कोषागार द्वारा संचालित हो रहे खाते का भी कार्यालय महालेखाकार से प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण 31.03.2020 तक नहीं करवाया गया, विवरण निम्न हैं-

क्र० सं०	विभाग	लेखाशीर्ष	प्राधिकार पत्र वैधता
1	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।	8443-00-106	31.03.2018 तक
2	पर्यटन निदेशालय, देहरादून।	8443-00-106	31.03.2016 तक
3	कृषि निदेशक, देहरादून	8443-00-106	31.03.2017 तक
4	निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून।	8443-00-106	31.03.2016 तक
5	निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	8443-00-106	31.03.2016 तक

उक्त विभागों द्वारा वैयक्तिक लेखा खाता का नवीनीकरण न किया जाना शासनादेश का उल्लंघन है। नियमानुसार इन विभागों को वैयक्तिक लेखा खाता का संचालन प्राधिकार पत्र की वैधता समाप्त होने के पश्चात बंद कर दिया जाना चाहिए था।

(च) पी0एल0ए0 लेखे की धनराशियों को उपकोषागार से सीधे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के खाते में अन्तरित करना।

पी0एल0ए0 लेखों की जांच में पाया गया कि उपकोषागार लोहाघाट द्वारा जो राशियाँ निर्माण कार्यों से सम्बन्धित थी, सीधे अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लोहाघाट के खाते में अन्तरित की गई, वो निम्नवत् है :-

क्रमांक	माह	धनराशि
1	05 / 2018	17,54,340
2	06 / 2018	9,51,161
3	07 / 2018	8,93,215
4	3 / 2019	70,60,570
5	3 / 2019	10,28,794

राशि सीधे अधिशासी अधिकारी के खाते में प्रेषित की गई, जबकि ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार निर्माण कार्य एजेन्सी तथा व्यक्तियों के खाते में ऑनलाइन प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वेतन से सम्बन्धित भुगतान कर्मचारियों के खाते में प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

3.2.3 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सामान्य भविष्य निधि की धनराशि रु0 6,673,560 के प्राधिकार पत्रों पुनर्वैध हेतु महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नहीं हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण-पत्र के साथ पुनर्भुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, परन्तु वर्ष 2019-20 में 16 प्रकरणों में विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार को वापस नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 13 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-13)

3.2.4 द्वितालक कक्ष से सम्बन्धित अनियमितताओं के संबंध में।

(क) कोषागार द्वितालक कक्ष में अनुपयोगी चैक बुकों का अनावश्यक भण्डारण।

द्वितालक कक्ष में विभिन्न श्रेणी की चैक बुक जो विभागों को पूर्व में निर्गत की जाती थी, बिना किसी उपयोग के पड़ी हैं। वर्तमान में ई-लेखा प्रणाली लागू हो जाने के फलस्वरूप इन सभी चैक बुकों का उपयोग में लाया जाना बन्द हो गया है। इन सभी चैक बुकों को वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी होने के कारण इनका निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त अनुपयोगी चैक-बुकों को शासन की अनुमति प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नष्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए अथवा अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए ताकि द्वितालक कक्ष में रखे गए अनुपयोगी चैक-बुकों का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

(परिशिष्ट-14)

(ख) द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेट का प्रतिवर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। कोषागार नैनीताल, हल्द्वानी एवं कोटद्वार के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों द्वारा न करके नियमों की अनुपालना नहीं की गई। द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन का विवरण परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट-15)

(ग) द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु निर्धारित पुलिस गार्ड के सापेक्ष कम नियुक्ति/तैनाती होना।

कोषागारों के द्वितालक/एकतालक कक्ष की सुरक्षा से सम्बन्धित स्वीकृत/निर्धारित गारद का पुलिस अधीक्षक का आदेश एवं गार्डवीट की जांच में पाया गया कि उक्त द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बीट संतरी के सापेक्ष कम संतरियों की तैनाती पायी गई जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक संख्या	कोषागार/उपकोषागार	स्वीकृत बीट संतरी के पद	तैनाती बीट संतरियों की संख्या
1	नैनीताल	01 हैड कांस्टेबल तथा 07 कांस्टेबल	03 कांस्टेबल
2	रानीखेत	1 हेड कांस्टेबल एवं 4 कांस्टेबल	1 हेड कांस्टेबल एवं 3 कांस्टेबल
3	हल्द्वानी	01 हैड कांस्टेबल तथा 4 कांस्टेबल	2 कांस्टेबल
4	उधमसिंह नगर	01 हैड कांस्टेबल तथा 4 कांस्टेबल	2 कांस्टेबल

पुलिस गारद की मानक के सापेक्ष कम तैनाती द्वितालक कक्ष की सुरक्षा के प्रति उदासीनता एवं जोखिम भरा कदम है।

3.2.5 निर्धारित आर0बी0आई0 पोर्टल के भुगतानों से सम्बन्धित पैरा।

(क) भुगतानों के लिये निर्धारित आर0बी0आई0 पोर्टल की अनदेखी कर एस0बी0आई0 पोर्टल से भुगतान जारी करना।

उल्लेखनीय है कि कोषागारों में भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद R.B.I. Portal पर भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। S.B.I. Portal भुगतान C.T.S. प्रणाली के लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में इस आशय से उपलब्ध करायी गयी थी कि Network की अनुपलब्धता अथवा सिस्टम में तकनीकी खामियों के कारण यदि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में उत्पन्न अपरिहार्य स्थितियों से निपटने हेतु बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैकों का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु कोषागार/उपकोषागार में प्राप्तियों एवं भुगतानों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान निरन्तर S.B.I. Portal का उपयोग किया गया और बैंकड्राफ्ट तथा कोषागार चैकों के माध्यम से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किये गये। जबकी इन सस्थाओं को आर0बी0आई0 पोर्टल से अदायगी/भुगतान किया जा सकता था। ऐसे भुगतानों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार	माह	धनराशि (रूपये में)
1	रानीखेत	5 / 2018	7996
		6 / 2018	3066070
		7 / 2018	8714854
		8 / 2018	817209
		9 / 2018	8497216
		10 / 2018	328717
		11 / 2018	1041787
		12 / 2018	620271
		01 / 2019	710582
		02 / 2019	325297
		03 / 2019	15693117
2	पौडी गढवाल	5 / 2018	84102007
		6 / 2018	2749241
		7 / 2018	73438887
		8 / 2018	28265276
		9 / 2018	50268180
		10 / 2018	55466517
		11 / 2018	17240467
		12 / 2018	18963058
		01 / 2019	61750923
		02 / 2019	74360494
		03 / 2019	209258933
3	लैंसडौन	5 / 2018	1450000
		6 / 2018	1582000
		7 / 2018	4648
		8 / 2018	2143567
		9 / 2018	2150000
		12 / 2018	1455060

		02 / 2019	1928002
		05 / 2019	6233219
4	चमोली	03 / 2018	633045
		02 / 2018	450000
		01 / 2018	371000
		09 / 2017	1479000
5	रामनगर		57238259
6	पिथौरागढ़		111228690

3.2.7 स्टाम्प सम्बन्धित अनिमितताएँ।

(क) कोषागार उत्तरकाशी और भिकियासैण के द्वितालक कक्ष में विभिन्न डिनाॅमिनेशन के स्टाम्प निम्नवत् पाये गये—

कोषागार/ उपकोषागार		रु 10	रु 100	रु 500	रु 1000	रु 5000	रु 10,000	रु 20,000
उत्तरकाशी	01.04.2018 को प्रा० शेष	200	300	11,79,000	83,76,000	2,04,60,000	4,13,10,000	1,24,20,000
	प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—
	बिक्री	—	—	—	—	—	—	—
	31.03.2019 अन्तिम शेष	200	300	11,79,000	83,76,000	2,04,60,000	4,13,10,000	1,24,20,000
भिकियासैण	29.04.2016 को प्रा० शेष	210	600	73000	—	170000	—	—
	प्राप्ति	—	—	—	—	—	—	—
	बिक्री	—	—	—	—	—	—	—
	09.07.2019 अन्तिम शेष	210	600	73000	—	170000	—	—

उत्तराखण्ड राज्य में ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार/ उपकोषागार में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अत्यधिक मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि ई-स्टाम्प व्यवस्था के फलस्वरूप कोषागार/उपकोषागार में मैन्चुल स्टाम्प का भण्डारण वांछित नहीं है। उपरोक्त मूल्य के स्टाम्प की कोई बिक्री नहीं हो रही है।

(ख) कोषागार अल्मोड़ा में अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प और बीमा पॉलिसी स्टाम्प का अनुपयुक्त रहना।

कोषागार अल्मोड़ा में अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प और बीमा पॉलिसी स्टाम्प की कोषागार स्तर पर वर्ष पर्यन्त बिल्कुल बिक्री नहीं हुई, यदि उक्त स्टाम्प की उपयोगिता कोषागार में नहीं थी तो इनको उन कोषागारों में जहां इनकी आवश्यकता थी, स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए था।

स्टाम्प का प्रकार	मूल्य	मद	कुल मूल्य
अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प	रु 10	21 X 500	रु 2,23,000
बीमा पॉलिसी स्टाम्प	रु 2	214 X 400	रु 85600
	रु 5	4549 X 1000	रु 459000
	रु 10	30 X 1800	रु 54000

3.2.8 रु 6387707 /- की राशियों को शासकीय खाते से गैर शासकीय खाते में अन्तरित करना।

कोषागार चम्पावत के अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चम्पावत द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से अहैतुक सहायता के लिये शासनादेश सं0- 675 {XVIII(1)2018-19(16)2018} दिनांक 20.04.2018 द्वारा आय-व्ययक के माध्यम से 2018-19 के लिये अनटाइड फण्ड से रु 50 लाख तथा शासनादेश दिनांक 25.04.2018 एवं शासनादेश दिनांक 22.11.2018 द्वारा रु 800 लाख आपदा प्रतिवादन मद में आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय तथा क्षमता विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चम्पावत द्वारा
रु 659114 /- की राशि अन्टाईड फण्ड से
रु 2135960 /- की राशि उपकरण क्रय मद से
रु 3592673 /- की राशि क्षमता विकास मद में से

अग्रिम के रूप में आहरित कर पंजाब नेशनल बैंक स्थित खाता सं0 4954002100000766 में जमा किया गया जो कि वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं था जबकि निधि से अग्रिम उसी स्थिति में आहरित किया जाता है जब आपदा के दौरान तत्काल अदायगी की आवश्यकता है। क्योंकि शासकीय खाते से धनराशियों का अन्तरण गैर शासकीय खाते में करने से रु 6387747 /- की शासकीय राशि, शासकीय खाते से अलग करेन्ट एकाउन्ट में जमा करना नियमानुकूल नहीं है। उक्त सभी राशियाँ जो अग्रिमों के रूप में आहरित की गई थी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक समायोजन किया जाना था जोकि नहीं किया गया।

3.3 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं।

3.3.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या- 21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके "खाता संख्या" का आवंटन कराये परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। जिसके कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में निरीक्षण दौरान 1604 ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पूर्व वित्तीय वर्षों में होने के बावजूद भी NPS की कटौती नहीं हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को NPS के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। कोषागार वार अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 16 में दर्शाया गया है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

(परिशिष्ट -16)

3.3.2 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया।

(परिशिष्ट -17)

3.3.3 368 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित न करना।

निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक 991/22(5)/(ii) सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013 दिनांक 16 सितम्बर 2013 के नियंत्रक लेखा, रक्षा (पेंशन) इलाहाबाद के पत्र संख्या AT/Tech/269/Vol VI/PCDA(P) दिनांक 06.09.2013 के सन्दर्भ में सैनिक पेंशनरों की पेंशन का भुगतान कोषागार के स्थान पर सीधे बैंक के माध्यम से सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये गये थे। रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय

(Defence Pension Disbursement Office) देहरादून द्वारा निर्देश दिया गया था कि पेंशन प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 (Defence Pension Disbursement Office) के कार्यालय में हस्तान्तरित किया जाए परन्तु कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा 368 सैनिक पेंशनरों के प्रकरणों को डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया है।

(परिशिष्ट -18)

3.3.4 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने हेतु आदेशित किया जाता है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि अधिकतम कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण विभिन्न राज्यों के 211 पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ा। विवरण परिशिष्ट-19 में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट -19)

3.3.5 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप बढ़ी हुई दर से 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7 के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या-419/ XXVII(7)/2008 देहरादून, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। जो कि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि 04 उपकोषागारों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है तथा बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं की गई।

(परिशिष्ट -20)

3.3.6 विभिन्न कोषागारों में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित न किया जाना।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 138/ 2017/ xxvii(10)/2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के समस्त पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जाना था लेकिन विभिन्न कोषागारों द्वारा सातवें वेतन के आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुनरीक्षित नहीं किया गया। 79 पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा था जिसका विवरण (परिशिष्ट-21) में दिया गया है।

(परिशिष्ट -21)

3.3.7 स्रोत पर आयकर रु0 577293/- की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिये परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। कोषागार के स्तर से न तो स्रोत पर आयकर की कटौती की गई और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रमाण पत्र लिया गया। वर्ष 2019-20 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि रु0 577293/- की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए हैं।

(परिशिष्ट-22)

3.3.8 डाटा बेस में 239 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु-वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने का प्रमाण-पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण-पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अतिआवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। परन्तु 28 कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा 239 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि डाटाबेस में दर्ज नहीं कि है। जिनका विवरण परिशिष्ट-23 में दिया गया है।

(परिशिष्ट-23)

3.3.9 पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश सं0 237-F(Pen) दिनांक 15.06.2016 के अनुसार वर्ष 2016 में Ex-gratia रु 1800/-, शासनादेश सं0: 307-F(Pen) दिनांक 14.06.2017 के अनुसार वर्ष 2017 में Ex-gratia रु 1900/- एवं शासनादेश सं0: 288-F(Pen) दिनांक 01.06.2018 के अनुसार वर्ष 2018 में Ex-gratia रु 2000/- का भुगतान किया जाना था किन्तु उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान निर्धारित दरों से नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या	2016	2017	2018	कुल राशि
1	धारचुला	4	7200	7600	8000	22800
2	हल्द्वानी	2	3600	3800	4000	11400

3	मुनस्यारी	1	1800	1900	2000	5700
	योग	7	12600	13300	14000	39900

3.3.10 कोषागार के डाटाबेस में आहरण एवं वितरण अधिकारियों के मेल, पता तथा फोन नं० का न होना।

उपकोषागार/कोषागार स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने लेन-देन सम्पन्न कराते हैं। उपकोषागार/कोषागार के डाटाबेस में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय के नाम के साथ-साथ उस कार्यालय का ई-मेल, पता तथा फोन नं० भी होने चाहिए जिससे कभी किसी लेन-देन, बिल सम्बन्धी त्रुटियों का शीघ्र निराकरण कर आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ऐसे उपकोषागार/कोषागारों की सूची निम्नवत है जिनके डाटा बेस में आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ई-मेल आई डी तथा फोन नं० भी नहीं पाए गए।

क्रमांक संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारियों की संख्या
1	दन्या	32
2	गंगोलीहाट	31
3	डीडीहाट	24

3.3.11 पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 175/XXVII(10)2017/09(36)07 दिनांक 19.06.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पर शासनादेश के दिनांक से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाना देय है किन्तु निम्नलिखित कोषागार/उपकोषागार के अन्तर्गत सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया।

क्रम संख्या	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या
1	उपकोषागार मुनस्यारी	4
2	कोषागार नैनीताल	3
	योग	7

3.4 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई अन्य कमियां।

3.4.1 Bill Passing Register/Warrant Register का व्यवस्थित न पाया जाना।

कोषागार ऊधमसिंह नगर में व्यवस्थित किए गए Bill Passing Register, निर्धारित रजिस्टर न बना कर, स्टाम्प रजिस्टर में बनाये गए हैं। इस रजिस्टर में Bill Passing Register के निर्धारित कालम नहीं हैं। बिल प्राप्ति का दिनांक रजिस्टर में अंकित है परन्तु इसके निस्तारण तिथि का उल्लेख इसमें नहीं है। किसी आपत्ति के कारण तथा आपत्तिजनक बिलों को संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को त्रुटियों के निराकरण हेतु वापस किए जाने का दिनांक न तो इस रजिस्टर में अंकित है और न ही कोषागार स्तर पर आपत्ति पुस्तिका में व्यवस्थित है जिसमें इन बिलों को वापस किए जाने का दिनांक, वापस किए जाने के सम्बन्ध में सही निगरानी नहीं रखी जा रही।

3.4.2 अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी।

उपकोषागार/कोषागार में आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए। कोषागार के महत्वपूर्ण अभिलेखों/उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) तथा बहुमूल्य मदों/स्टाम्पस की सुरक्षा हेतु उक्त से सम्बन्धित सभी कमरों के बाहरी दीवारों पर अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे अचानक आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग कर कोषागार की आग से सुरक्षा की जा सके। परंतु निम्न उपकोषागार/कोषागार में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को रिफिलिंग की समाप्ति तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफिलि नहीं करवाया गया जो कि बहुत गम्भीर तथा ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना में काफी हानी हो सकती है।

क्रमांक	उपकोषागार/कोषागार का नाम
1	देवलथल
2	नाचनी
3	दन्या
4	हल्द्वानी
5	बेतालघाट
6	धारी
7	कोश्याकुटोली
8	नैनीताल
9	चौखुटिया
10	मौलेखाल
11	बेरीनाग
12	थल
13	मुनस्यारी
14	धारचूला
15	डीडीहाट
16	उधमसिंह नगर

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05/10/2010 को कोषागार नैनीताल भवन में हुए भीषण अग्नि कांड के कारण कोषागार में अभिलेखों एवं भवन को भारी नुकसान पूर्व में हो चुका है।

3.4.3 स्टॉक पंजिका का नियमानुसार रख-रखाव न किया जाना।

उपकोषागार ढुंगनाकुरी में व्यवस्थित स्टॉक पंजिका का नियमानुसार रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। स्टॉक पंजिका में उपकोषागार द्वारा प्राप्त सामग्रियों के अंकन के पश्चात् उपकोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। सामग्री की प्राप्ति तिथि तथा सामग्री के मूल्य का अंकन भी स्टॉक पंजिका में नहीं पाया गया।

3.4.4 मृत स्कंद पंजिका (Dead Stock Register) का व्यवस्थित न पाया जाना।

कोषागार हल्द्वानी में मृत स्कंद पंजिका में दर्ज वस्तुओं में निष्प्रयोज्य वस्तुओं का पता नहीं चल पाया। जो वस्तुएं खराब (टूट-फूट) अर्थात् उपयोग में लाने लायक नहीं रही उन वस्तुओं की सूची बनाकर सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेकर नीलाम कर दिया जाना था।

3.4.5 कोषागार रानीखेत के मासिक लेखों का अनियमित रूप से कोषागार अल्मोड़ा द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना।

कोषागार रानीखेत के मासिक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नवम्बर 2016 से पूर्व रानीखेत को उपकोषागार का दर्जा प्राप्त होने के कारण महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे कोषागार अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किये जा रहे थे। नवम्बर 2016 से रानीखेत को पूर्ण कोषागार का दर्जा प्राप्त हो गया किन्तु मासिक लेखे अभी तक महालेखाकार कार्यालय को पृथक रूप से न भेजते हुए कोषागार अल्मोड़ा द्वारा ही प्रेषित किये जा रहे हैं। ऐसा किया जाना अनियमित है।

परिशिष्ट 1 से 23 तक

(परिशिष्ट-1) पैरा-1.2
उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची।

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिग / नान बैंकिग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिग
				3.	3. रामनगर	बैंकिग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिग
				5.	5. धारी	बैंकिग
		2	हल्द्वानी	कोई नहीं	बैंकिग	
2	उधमसिंह नगर	3	उधमसिंह नगर	6.	1. जसपुर	बैंकिग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिग
				10.	5. किच्छा	बैंकिग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिग
				12.	7. खटीमा	बैंकिग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1. भिकियासैण	बैंकिग
				14.	2. ताकुला	बैंकिग
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिग
				16.	4. मौलेखाल	बैंकिग
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिग
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिग
				19.	7. दन्या	बैंकिग
				20.	8. देघाट	बैंकिग
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिग
		5	रानीखेत	कोई नहीं	बैंकिग	
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1. बेरीनाग	बैंकिग
				23.	2. डीडीहाट	बैंकिग
				24.	3. मुनस्यारी	बैंकिग
				25.	4. धारचूला	बैंकिग
				26.	5. अस्कोट	बैंकिग
				27.	6. थल	बैंकिग
				28.	7. गणार्इगंगोली	बैंकिग
				29.	8. गंगोलीहाट	बैंकिग
				30.	9. देवलथल	बैंकिग
				31.	10. नाचनी	बैंकिग

5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग
				33.	2. गरुड़	बैंकिंग
				34.	3. काण्डा	बैंकिंग
				35.	4. दुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. ल्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चकराता	बैंकिंग
10	साईबर ट्रेजरी, देहरादून	कोई नहीं	बैंकिंग			
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
				12	रुड़की	45.
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड़	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
14	नरेन्द्रनगर	कोई नहीं	बैंकिंग			
10	रुद्रप्रयाग	15	रुद्रप्रयाग	51.	1. अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2. ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3. जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी	54.	1. श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2. सतपुली	बैंकिंग
				56.	3. थैलीसैण	बैंकिंग
				57.	4. धूमाकोट	बैंकिंग
		17	कोटद्वार	कोई नहीं	बैंकिंग	
18	लैन्सडाउन	कोई नहीं	बैंकिंग			
12	चमोली	19	चमोली	58.	1. कर्णप्रयाग	बैंकिंग
				59.	2. थराली	बैंकिंग
				60.	3. जोशीमठ	बैंकिंग
				61.	4. घाट	बैंकिंग
				62.	5. पोखरी	बैंकिंग
				63.	6. गैरसैण	बैंकिंग
				64.	7. नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8. देवाल	बैंकिंग
				66.	9. चमोली	बैंकिंग

13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिंग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4.बड़कोट	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नहीं	बैंकिंग

जिला कोषागार	13
स्वतंत्र कोषागार	6
भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	1
साईबर ट्रेजरी, देहरादून	1
उपकोषागार	70

(परिशिष्ट-2) पैरा-2.1.8
चतुर्थ श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या की पोस्टिंग भिन्न लेखाशीर्ष में होना

क्रम संख्या	कोषागार	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	अल्मोड़ा	15	145539
2	बागेश्वर	02	35866
3	चमोली	58	1309969
4	चम्पावत	13	200756
5	सी.पी.ए.ओ. देहरादून	33	574434
6	देहरादून	84	847424
7	हल्द्वानी	43	780518
8	हरिद्वार	28	373514
9	कोटद्वार	12	155907
10	लैन्सडाउन	01	24000
11	नैनीताल	46	826980
12	नरेन्द्र नगर	09	105368
13	पौड़ी	43	1037687
14	पिथौरागढ़	15	95300
15	रूड़की	11	90088
16	रूद्रप्रयाग	07	435184
17	टिहरी	41	572070
18	उधमसिंह नगर	30	572305
19	उत्तरकाशी	44	795963
	योग	535	8978872

(परिशिष्ट-3) पैरा-2.1.9
सामान्य भविष्य निधि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न के अप्राप्त शेड्यूल का विवरण।

क्र.सं.	कोषागार	Part Want Items Details		Full Want Items Details	
		No of Items	Part Want Amt. (in Rs.)	No of Items	Full Want Amt. (in Rs.)
1	अल्मोड़ा	78	561207	22	361703
2	बागेश्वर	32	447424	09	2152003
3	चमोली	37	330160	12	236600
4	चम्पावत	54	162995	06	82400
5	सी.पी.ए.ओ. देहरादून	30	2617815	-	0
6	देहरादून	92	806118	12	1231666
7	हल्द्वानी	36	855591	06	257228
8	हरिद्वार	43	535376	08	255436
9	कोटद्वार	19	222031	07	252966
10	लैन्सडाउन	-	-	02	764071
11	नैनीताल	112	2938008	31	5146448
12	नरेन्द्रनगर	19	179765	02	55620
13	पौड़ी	104	1648636	35	1059879
14	पिथौरागढ़	48	615188	16	252418
15	रूड़की	12	287870	02	18700
16	रूद्रप्रयाग	35	662256	05	512329
17	टिहरी	84	1263425	11	212930
18	उधमसिंह नगर	75	1881377	10	428350
19	उत्तरकाशी	86	1255814	24	5008767
	योग	996	17271056	220	18289514

(परिशिष्ट-4) पैरा-2.3

गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

कोषागार	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें गलती से धनराशि बुक हो गई	मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें धनराशि वास्तव में बुक की जानी थी	धनराशि	अन्तरण प्रविष्टि संख्या	माह
नैनीताल	800901101010000	800901101020000	700000	49959 / 07.08.2019	06 / 2018
	800901101010000	800901101020000	600000	50089 / 01.10.2019	06 / 2018
	800901101020000	865800101240100 800901104010192	357500 97500	50743 / 22.05.2020	04 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104010193	427500 97500	50744 / 22.05.2020	05 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104010192	427500 97500	50745 / 22.05.2020	06 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104010192	427500 147500	50746 / 22.05.2020	07 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104000000	427500 147500	50747 / 22.05.2020	08 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104000000	427500 147500	50748 / 22.05.2020	09 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104000000	427500 147500	50749 / 22.05.2020	10 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104000000	427500 147500	50750 / 22.05.2020	11 / 2019
	800901101020000	865800101240100 800901104000000	427500 235000	50751 / 22.05.2020	12 / 2019
	पौड़ी गढ़वाल	800901101010000	800901101020000	107317 0	49960 / 08.08.2019
879300102010100		879300102081700	5890	50302 / 05.12.2019	09 / 2019
8793001020821		8793001020810 8793001020802	5000 2356	50303 / 05.12.2019	07 / 2019
8793001020825		8793001020817	55428	50304 / 05.12.2019	09 / 2019
879300001		879300010	6650	50443 / 21.01.2020	10 / 2019
879300025		879300021	48366	50444 / 21.01.2020	10 / 2019
879300001		879300017	4000	50497 / 29.01.2020	11 / 2019
879300010		879300021	2773	50498 / 29.01.2020	11 / 2019
879300025		879300017	4000	50499 / 29.01.2020	12 / 2019
879300025		879300017	12554	50500 / 29.01.2020	12 / 2019
865800102000000	8658001020901	250000	50578 / 24.02.2020	04 / 2019	

	86580011200	8658001020901	13000	50580 / 24.02.2020	04 / 2019
	879300025	879300017	4000	50615 / 16.03.2020	01 / 2020
	80090110101	80090110102	20476	50780 / 17.06.2020	03 / 2012
अल्मोड़ा	80090110102	80090110101	188872	50061 / 24.09.2019	06 / 2014
	879300002	879300006	15318	50122 / 10.10.2019	05 / 2019
	02100180000	80090110102	17190	50213 / 31.10.2019	03 / 2018
	879300002	879300006	15318	50219 / 06.11.2019	07 / 2019
	879300021				
	879300021	879300025	2041	50220 / 06.11.2020	07 / 2019
	8009011010200	0071011170100	4800	50387 / 06.01.2020	08 / 2017
	8009011010200	0071011170100	4800	50386 / 06.01.2020	07 / 2017
	020201102010000	0202011020200	76195	50501 / 21.01.2020	07 / 2019
	020201102000000	020201102020000	35550	50502 / 21.01.2020	07 / 2019
	020201102010000	0202011020200	1020	50503 / 21.01.2020	09 / 2019
	020201102000000	020201102020000	570	50504 / 21.01.2020	09 / 2019
	020201102000000	020201102010000	7208	50505 / 21.01.2020	07 / 2019
19-451500103980124	87820010202	43062400	50508 / 17.02.2020	07 / 2019	
उत्तरकाशी	80090110101	80090110102	1401931	50088 / 01.10.2019	07 / 2014
	80090110101	80090110102	594000	50087 / 01.10.2019	01 / 2016
	80090110101	80090110102	1193000	50086 / 01.10.2019	12 / 2015
	80090110101	80090110102	594000	50085 / 01.10.2019	04 / 2016
	80090110101	80090110102	670000	50084 / 01.10.2019	03 / 2017
	80090110101	80090110102	594000	50083 / 01.10.2019	02 / 2016
	80090110101	80090110102	1390000	50082 / 01.10.2019	02 / 2017
	80090110101	80090110102	703000	50081 / 01.10.2019	11 / 2016
	80090110101	80090110102	1344000	50080 / 01.10.2019	09 / 2016
	80090110101	80090110102	1040680	50079 / 01.10.2019	08 / 2016
	80090110101	80090110102	161572	50078 / 01.10.2019	05 / 2016
	0059018000300	84430010800	30000	50222 / 06.11.2019	11 / 2018
	80090110101	02020110208	9923	50389 / 06.01.2020	05 / 2019
	80090110101	02020110208	8000	50388 / 06.01.2020	04 / 2019
	8011001070201	0070608000400	103173	50772 / 16.06.2020	11 / 2018

चमोली	00706080006 00	0039001050200	652999	50212 / 31.10.2019	05 / 2019
	00300310400	00390010502	100000	50858 / 29.06.2020	06 / 2019
रूद्रप्रयाग	80090110102	00710110105	276216	50221 / 06.11.2019	05 / 2019
	83380010402	8009011010200	1501904	50390 / 06.01.2020	10 / 2016
	83380010402 0	80090110102	2057155	50391 / 06.01.2020	10 / 2016
पिथौरागढ़	84430010400	87820010200	7280	50247 / 14.11.2019	05 / 2019
	00390010100 00	0030011010100	58600	50246 / 14.11.2019	05 / 2019
	20-2702800 05010101	20-270202005030 001	90220	50656 / 20.03.2020	08 / 2019
रुधमसिंह नगर	80090110101	80090110102	70000	50293 / 28.11.2019	04 / 2015
	07020180000 00	844300108	230000	50770 / 11.06.2020	12 / 2019
देहरादून	80090110101	80090110102	36121	50299 / 05.12.2019	03 / 2009
	844300106	844300104	1000	50773 / 17.06.2020	07 / 2019
साईबर कोषागार देहरादून	02160110600 00	8658001120000	36700	50509 / 17.02.2020	07 / 2019
	11-2205000 01030016	11-220500104030 016	162000	50578 / 24.02.2020	09 / 2019
	27028000501 0101	270280005020001	161029	50586 / 05.03.2020	04 / 2019
कोटद्वार	00710110104 00	8658001020901	938534	50510 / 17.02.2020	09 / 2019
थैलीसैण	05150010102 00	0039001050200	365000	50511 / 17.02.2020	10 / 2019
रूड़की	00430010100 00	0041001010000 0041001020000	288533 1188503	50528 / 19.02.2020	04 / 2019
बागेश्वर	00710110103 0200	8658001020901	5264	50581 / 24.02.2020	05 / 2019
चकराता	80090110101	80090110102	100000	50584 / 02.03.2020	01 / 2017
चम्पावत	04060180099 00	8782001030101	2197762	50614 / 16.03.2020	03 / 2011

(परिशिष्ट-5) पैरा-2.4
विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 त्रैमासिक आय-व्ययक मिलान की स्थिति।

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों / विभागाध्यक्षों का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
		व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-	-	-	-
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-	-	-	-
3	सचिव / वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	-	-	-	-
4	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	-	-	-	-
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, 4, सुभाष रोड देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	-	-	-	-
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून।	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सचिव सामान्य प्रशासन, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण
9	निदेशक, डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	-	-	-
11	कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत, 48, बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून।	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
13	रजिस्टार, चिट फण्ड, उत्तराखण्ड, 3/23, शास्त्री नगर रोड, देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं

14	प्रमुख, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	-	-	-
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	-	-	-
16	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक	-	-	-	-
17	निदेशक, विभागीय लेखा, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण
18	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विभाग, उत्तराखण्ड।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	-	-	-	-
19	आयुक्त, आबकारी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
20	सचिव, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।	नहीं	नहीं	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
21	महानिदेशक, पुलिस, 12 सुभाष रोड, देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
22	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं
23	निदेशक, उच्च शिक्षा, नबावी रोड हल्द्वानी।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं
24	निदेशक, एन0सी0सी0, निदेशालय, उत्तराखण्ड पी-1, नागनाथ रोड, घंघोडा कैन्ट, देहरादून।	नहीं	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूनर खेडा, देहरादून।	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मुख्यालय श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल, (कैम्पस रा0 पालीटेक्नीक)।	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं
27	निदेशक, खेलकुद एवं युवा कल्याण, रायपूर, देहरादून।	नहीं							
28	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, एम,डी,डी,ए, कालोनी, डालनावाला, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं

29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें, उत्तराखण्ड, ग्राम गुलराडा, पो0 डाण्डा लखौड़ा, सहस्त्रधारा रोड, निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह, गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
33	सचिव, जलापूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उदय विहार, ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड, देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	-	-	-	-
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12, ई0सी0 रोड, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	निदेशक, समाज कल्याण, कालादूगी रोड, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल।	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं
38	उपनिदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, 15 सी, कालीदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून।	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	-	-	-	-
39	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून।	नहीं	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक	-	-	-	-
42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं
43	निबन्धक, सहकारी समितियां, 125, ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।	नहीं	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	नहीं							
46	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	नहीं	आंशिक	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
47	प्रमुख, अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	पूर्ण
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रुड़की।	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं
49	निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	पूर्ण							
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड देहरादून।	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	पूर्ण
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम P.O. कुल्हान देहरादून 248013	नहीं							
52	आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़	नहीं							

	देहरादून।								
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग 8,ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून।	नहीं	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय 3/3 इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर देहरादून।	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड 87 राजपुर रोड़ देहरादून।	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
57	निदेशक,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, पो0 मोथरोवाला देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी, डेवलेपमेन्ट विभाग, उपनिदेशक डेयरी, विकास विभाग संपर्क, कार्यालय कैपस, आंचल डेरी, रायपुर, देहरादून।	पूर्ण							
59	निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड, बाड़ासी ग्रान्ट, ग्राम घन्याडी, रायपुर, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	नही	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं
61	निदेशक, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं
62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	-	-	-	-

(परिशिष्ट-6) पैरा-2.4

वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्रैमासिक आय-व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची।

1. आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, आबकारी तहसील चौक, देहरादून।
5. निदेशक,खेलकूद एवं युवा कल्याण रायपुर, देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथी सेवाएं, उत्तराखण्ड।
7. प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
8. सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, 12 ई0सी0 रोड देहरादून।
10. आयुक्त,श्रम उत्तराखण्ड। शासन, देहरादून।
11. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हेलीड्रोम पी0ओ0 कुल्हान, देहरादून।
13. आयुक्त, परिवहन कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(परिशिष्ट-7) पैरा-2.5
वर्ष 2019.20 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण।

क्र०सं०	कोषागार	माह	प्राप्ति की अंतिम दिनांक	प्राप्ति की वास्तविक दिनांक	विलम्ब (दिन में)
1.	देहरादून	अप्रैल, 2019	08.05.2019	04.06.2019	26
		मई, 2019	10.06.2019	14.06.2019	04
		जुलाई, 2019	08.08.2019	16.08.2019	08
		मार्च, 2020	08.04.2020	18.05.2020	40
2.	हल्द्वानी	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	10.06.2019	14.06.2019	04
		जुलाई, 2019	08.08.2019	16.08.2019	08
		फरवरी, 2020	11.03.2020	16.03.2020	05
		मार्च, 2020	08.04.2020	22.06.2020	75
3.	सड़बर कोषागार, देहरादून	अप्रैल, 2019	08.05.2019	03.06.2019	25
		मार्च, 2020	08.04.2020	05.05.2020	27
4.	नैनीताल	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	10.06.2019	14.06.2019	04
		जून, 2019	08.07.2019	26.07.2019	18
		जुलाई, 2019	08.08.2019	21.08.2019	14
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	20.11.2019	12
		मार्च, 2020	08.04.2020	22.06.2020	75
5.	अल्मोड़ा	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	10.06.2019	18.06.2019	08
		जुलाई, 2019	08.08.2019	21.08.2019	13
		मार्च, 2020	08.04.2020	19.06.2020	72
6.	पिथौरागढ़	अप्रैल, 2019	08.05.2019	11.06.2019	33
		मई, 2019	10.06.2019	17.06.2019	07
		फरवरी, 2020	11.03.2020	16.03.2020	05
		मार्च, 2020	08.04.2020	12.06.2020	64

7.	नरेन्द्रनगर	अप्रैल, 2019	08.05.2019	07.06.2019	29
		मई, 2019	08.06.2019	20.06.2019	12
		जून, 2019	08.07.2019	11.07.2019	03
		जुलाई, 2019	08.08.2019	13.08.2019	05
		जनवरी, 2020	10.02.2020	14.02.2020	04
		मार्च, 2020	08.04.2020	17.06.2020	69
8.	गोपेश्वर	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	08.06.2019	16.06.2019	08
		मार्च, 2020	08.04.2020	29.06.2020	82
9.	उत्तरकाशी	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	08.06.2019	17.06.2019	09
		जुलाई, 2019	08.08.2019	13.08.2019	05
		मार्च, 2020	08.04.2020	18.06.2020	70
10.	पौड़ी	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	08.06.2019	17.06.2019	09
		जुलाई, 2019	08.08.2019	14.08.2019	06
		फरवरी, 2020	11.03.2020	19.03.2020	08
		मार्च, 2020	08.04.2020	19.06.2020	72
11.	रूड़की	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	08.06.2019	12.06.2019	04
		मार्च, 2020	08.04.2020	08.06.2020	60
12.	कोटद्वार	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	08.06.2019	24.06.2019	16
		जून, 2019	08.07.2019	15.07.2019	07
		जुलाई, 2019	08.08.2019	20.08.2019	16
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	18.11.2019	10
		फरवरी, 2020	11.03.2020	23.03.2020	12
		मार्च, 2020	08.04.2020	13.05.2020	35

13.	लैन्सडाउन	अप्रैल, 2019	08.05.2019	14.06.2019	36
		मई, 2019	08.06.2019	24.06.2019	16
		सितम्बर, 2019	09.10.2019	14.10.2019	05
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	18.11.2019	10
		मार्च, 2020	08.04.2020	19.06.2020	72
14.	नई टिहरी	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		जून, 2019	08.07.2019	15.07.2019	07
		जुलाई, 2019	08.08.2019	16.08.2019	08
		सितम्बर, 2019	09.10.2019	14.10.2019	05
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	18.11.2019	10
		मार्च, 2020	08.04.2020	19.06.2020	72
15.	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
16.	हरिद्वार	अप्रैल, 2019	08.05.2019	04.06.2019	26
		मई, 2019	10.06.2019	14.06.2019	04
		जुलाई, 2019	08.08.2019	16.08.2019	04
		सितम्बर, 2019	09.10.2019	14.10.2019	05
		मार्च, 2020	08.04.2020	08.06.2020	60
17.	ऊधमसिंह नगर	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	10.06.2019	14.06.2019	04
		जून, 2019	08.07.2019	22.07.2019	14
		जुलाई, 2019	08.08.2019	19.08.2019	11
		सितम्बर, 2019	09.10.2019	17.10.2019	08
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	26.11.2019	18
		जनवरी, 2020	10.02.2020	19.02.2020	09
		मार्च, 2020	08.04.2020	03.07.2020	86

18.	चम्पावत	अप्रैल, 2019	08.05.2019	10.06.2019	32
		मई, 2019	10.06.2019	17.06.2019	09
		जुलाई, 2019	08.08.2019	28.08.2019	20
		सितम्बर, 2019	09.10.2019	14.10.2019	05
		अक्टूबर, 2019	08.11.2019	11.11.2019	03
		फरवरी, 2020	11.03.2020	16.03.2019	05
		मार्च, 2020	08.04.2020	12.06.2020	64
19.	बागेश्वर	अप्रैल, 2019	08.05.2019	06.06.2019	28
		मई, 2019	10.06.2019	17.06.2019	07
		मार्च, 2020	08.04.2020	15.06.2020	67
20.	रूद्रप्रयाग	अप्रैल, 2019	08.05.2019	06.06.2019	28
		मई, 2019	10.06.2019	19.06.2019	09
		जून, 2019	08.07.2019	18.07.2019	10
		मार्च, 2020	08.04.2020	06.07.2020	89

(परिशिष्ट-08) पैरा-3.1
वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची।

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
01	कोषागार, पिथौरागढ़	22.04.2019 से 29.04.2019
02	उपकोषागार, देवलथल	30.04.2019 से 02.05.2019
03	उपकोषागार, नाचनी	04.05.2019 से 07.05.2019
04	उपकोषागार, गणाईगंगोली	09.05.2019 से 13.05.2019
05	कोषागार, अल्मोड़ा	22.04.2019 से 29.04.2019
06	उपकोषागार, दन्या	30.04.2019 से 02.05.2019
07	उपकोषागार, गंगोलीघाट	04.05.2019 से 07.05.2019
08	उपकोषागार, ढुंगनाकुरी	09.05.2019 से 13.05.2019
09	कोषागार, चम्पावत	27.05.2019 से 03.06.2019
10	उपकोषागार, लोहाघाट	04.06.2019 से 07.06.2019
11	उपकोषागार, पाटी	10.06.2019 से 11.06.2019
12	उपकोषागार, टनकपुर	13.06.2019 से 15.06.2019
13	उपकोषागार, जसपुर	27.05.2019 से 29.05.2019
14	उपकोषागार, काशीपुर	30.05.2019 से 01.06.2019
15	उपकोषागार, गदरपुर	03.06.2019 से 04.06.2019
16	कोषागार, उत्तरकाशी	03.06.2019 से 14.06.2019
17	उपकोषागार, भटवाड़ी	15.06.2019 से 18.06.2019
18	उपकोषागार, डुण्डा	19.06.2019 से 21.06.2019
19	उपकोषागार, राजगढ़ी	22.06.2019 से 25.06.2019
20	उपकोषागार, पुरोला	26.06.2019 से 28.06.2019
21	कोषागार, बागेश्वर	24.06.2019 से 01.07.2019
22	उपकोषागार, काण्डा	02.07.2019 से 04.07.2019
23	उपकोषागार, कपकोट	05.07.2019 से 06.07.2019
24	उपकोषागार, गरूड़	08.07.2019 से 10.07.2019
25	उपकोषागार, सोमेश्वर	11.07.2019 से 12.07.2019
26	उपकोषागार, लमगड़ा	24.06.2019 से 26.06.2019
27	उपकोषागार, ताकुला	28.06.2019 से 29.06.2019
28	उपकोषागार, द्वाराहाट	01.07.2019 से 03.07.2019
29	उपकोषागार, चौखुटिया	04.07.2019 से 06.07.2019
30	उपकोषागार, भिकियासैण	08.07.2019 से 09.07.2019
31	उपकोषागार, मौलेखाल	11.07.2019 से 12.07.2019
32	उपकोषागार, बेरीनाग	08.07.2019 से 10.07.2019
33	उपकोषागार, थल	11.07.2019 से 12.07.2019
34	उपकोषागार, मुनस्यारी	15.07.2019 से 17.07.2019
35	उपकोषागार, धारचूला	19.07.2019 से 20.07.2019
36	उपकोषागार, असकोट	22.07.2019 से 24.07.2019
37	उपकोषागार, डीडीहाट	25.07.2019 से 26.07.2019
38	उपकोषागार, हरिद्वार (सदर)	25.07.2019 से 27.07.2019

39	कोषागार, हरिद्वार	29.07.2019 से 05.08.2019
40	उपकोषागार, लक्सर	08.08.2019 से 14.08.2019
41	उपकोषागार, ऋषिकेश	25.07.2019 से 27.07.2019
42	उपकोषागार, मसूरी	29.07.2019 से 31.07.2019
43	उपकोषागार, त्यूनी	02.08.2019 से 03.08.2019
44	उपकोषागार, चकराता	05.08.2019 से 07.08.2019
45	साइबर कोषागार देहरादून	05.08.2019 से 14.08.2019
46	कोषागार, ऊधमसिंह नगर	02.09.2019 से 13.09.2019
47	कोषागार, हल्द्वानी	16.09.2019 से 23.09.2019
48	उपकोषागार, बेतालघाट	02.09.2019 से 04.09.2019
49	उपकोषागार, धारी	05.09.2019 से 07.09.2019
50	उपकोषागार, कोश्याकुटोली	09.09.2019 से 12.09.2019
51	उपकोषागार, कालाढुंगी	16.09.2019 से 18.09.2019
52	उपकोषागार रामनगर	19.09.2019 से 21.09.2019
53	उपकोषागार, खटीमा	02.09.2019 से 04.09.2019
54	उपकोषागार, सितारगंज	05.09.2019 से 07.09.2019
55	उपकोषागार, किच्छा	09.09.2019 से 12.09.2019
56	उपकोषागार, बाजपुर	13.09.2019 से 17.09.2019
57	उपकोषागार, विकासनगर	19.09.2019 से 21.09.2019
58	कोषागार, देहरादून	27.09.2019 से 07.10.2019
59	निदेशक कोषागार, (पेंशन एवं हक0), उत्तराखण्ड	30.09.2019 से 07.10.2019
60	उपकोषागार, जोशीमठ	14.10.2019 से 16.10.2019
61	उपकोषागार, नारायणबगड़	17.10.2019 से 19.10.2019
62	उपकोषागार, थराली	21.10.2019 से 23.10.2019
63	कोषागार, गोपेश्वर (चमोली)	14.10.2019 से 21.10.2019
64	उपकोषागार, चमोली (सदर)	22.10.2019 से 24.10.2019
65	उपकोषागार, कर्णप्रयाग	14.10.2019 से 16.10.2019
66	उपकोषागार, घाट	17.10.2019 से 19.10.2019
67	उपकोषागार, पोखरी	21.10.2019 से 23.10.2019
68	कोषागार, रुद्रप्रयाग	16.01.2020 से 23.01.2020
69	कोषागार, नई टिहरी	25.01.2020 से 01.02.2020
70	कोषागार, नरेन्द्रनगर	03.02.2020 से 11.02.2020
71	कोषागार, कोटद्वार	17.01.2020 से 24.01.2020
72	कोषागार, लैन्सडाउन	27.01.2020 से 03.02.2020
73	कोषागार, पौड़ी	05.02.2020 से 17.02.2020
74	कोषागार, रानीखेत	19.02.2020 से 27.02.2020
75	कोषागार, नैनीताल	29.02.2020 से 07.03.2020
76	कोषागार, रूड़की	17.02.2020 से 25.02.2020
77	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	27.02.2020 से 05.03.2020

(परिशिष्ट-09) पैरा- 3.2.1
उच्च अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषागारों में समय से निरीक्षण नहीं करने का विवरण।

कोषागार/ उपकोषागार	उच्चाधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण की तिथि			लम्बित निरीक्षण की अवधि (वर्षों में)		
	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक/ अपर निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी	जिला. अधिकारी/ उपजिला अधिकारी	निदेशक कोषागार	कोषाधिकारी
उपकोषागार, देवलथल			26.09.2018			1 वर्ष 6 माह
कोषागार, रानीखेत	07.08.2017		30.06.2017	1 वर्ष 7 माह		1 वर्ष 9 माह
उपकोषागार, कालाढूँगी	2016-17	2016-17	2016-17	3 वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष
कोषागार, हल्द्वानी		11 फरवरी, 2011			8 वर्ष	
उपकोषागार, नाचनी			06.04.2018			11 माह
उपकोषागार, दन्या			02.01.2018			1 वर्ष 2 माह
उपकोषागार, गंगोलीहाट	28.09.2010		21.04.2018	8 वर्ष 6 माह		
उपकोषागार, टनकपुर	29.01.2011	20.10.2015		8 वर्ष 2 माह	3 वर्ष 5 माह	
उपकोषागार, अस्कोट			25.09.2017			1 वर्ष 6 माह
उपकोषागार, डीडीहाट	17.12.2003	17.10.2015	25.09.2017	15 वर्ष 3 माह	3 वर्ष 5 माह	1 वर्ष 6 माह
कोषागार, ऊधमसिंह नगर		21.10.2015			3 वर्ष 5 माह	
उपकोषागार, रामनगर	26.10.2015	13.10.2015	24.12.16	3 वर्ष 5 माह	3 वर्ष 5 माह	2 वर्ष 3 माह
कोषागार, हरिद्वार		05.12.2015			3 वर्ष 5 माह	
उपकोषागार, हरिद्वार	2016-2017		2017-2018	3 वर्ष		2 वर्ष
भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		29.06.2016			3 वर्ष 9 माह	
उपकोषागार, कोटद्वार	15.01.2014				6 वर्ष 2 माह	
कोषागार, चमोली	19.05.2016	20.05.2016		3 वर्ष 10 माह	3 वर्ष 10 माह	
उपकोषागार, चमोली	29.05.2017	20.05.2016		2 वर्ष 10 माह	2 वर्ष 10 माह	
उपकोषागार, पुरोला		25.09.2017			2 वर्ष 6 माह	

(परिशिष्ट-10) पैरा- 3.2.2 (क)

वैयक्तिक लेखा खाता लेखाशीर्ष 8443-00-106 के अंतर्गत Self Cheque द्वारा एकमुश्त आहरण किया जाना।

कोषागार/ उपकोषागार	शासकीय इकाई का नाम	बिल अवधि एवं माह	राशि (रु० में)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
कोषागार डीडीहाट	नगर पंचायत डीडीहाट	11/2018	1240781	टी०एम० / टी०आई० / 2019-20 / 37
		11/2018	263856	
		11/2018	89804	
		12/2018	86040	
		12/2018	88908	
		12/2018	383306	
		02/2019	423626	
		02/2019	88908	
		03/2019	431476	
कोषागार साईबर ट्रेजरी, देहरादून	पुलिस मुख्यालय	P0120086100918 001B84930012	28815	टी०एम० / टी०आई० / 2019-20 / 45
		PL120086100918 002P84430013	1890486	
		PQ120086100319 0001P4430103	947919	
		P0120086100319 0003P4430141	2654853	
		P0120086100319 0002P4430142	1416467	
		योग	10035245	

(परिशिष्ट-11) पैरा- 3.2.2 (ख)

असंचालित वैयक्तिक लेखा खाता को बन्द नहीं किया जाना।

क्रम सं०	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	वर्ष
1	अल्मोड़ा	प्रभारी वनाधिकारी, सि०सो० वन, प्रभाग अल्मोड़ा।	5 वर्ष से
		प्रभारी वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।	5 वर्ष से
2	चम्पावत	वन विभाग, रामनगर	9 वर्षों से
3	हरिद्वार(रोशनाबाद)	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर पंचायत, हरिद्वार। 2. अन्य विभागीय निधिया हरिद्वार। 3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार। 4. जिला विकास निधि, हरिद्वार। 5. सी०पी०एल०, हरिद्वार। 6. लोकायुक्त, हरिद्वार। 7. खण्डीय वन अधिकारी (D F O), हरिद्वार। 8. जिलाधिकारी, हरिद्वार। 9. जिला विकास निधि, हरिद्वार। 10. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। 	

(परिशिष्ट-12) पैरा- 3.2.2 (घ)

वैयक्तिक लेखा खाता मुख्य लेखाशीर्ष 8443 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष बची राशि का अभ्यर्पण न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार	विभाग	लेखाशीर्ष	31 मार्च, 2019 को शेष जिस अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित किया गया।
1	साईबर कोषागार	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।	8443-00-106	2,21,57,000
		पुलिस महानिदेशक, देहरादून।	8443-00-106	3,79,66,431
		शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।	8443-00-106	2,69,74,077
		महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।	8443-00-106	5,55,19,234
		निदेशक, आई०सी०डी०एस०, देहरादून।	8443-00-106	20,23,49,520
		निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	8443-00-106	1,00,00,000
2	अल्मोड़ा	जिला पंचायत राज अधिकारी अल्मोड़ा	8443-00-106	75,45,000
		निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया।	8443-00-106	18,00,000

(परिशिष्ट-13) पैरा- 3.2.3
सामान्य भविष्य निधि के कालातीत प्राधिकार पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	अभिदाताओं की संख्या	प्राधिकार पत्र की राशि (रु में)
1	उपकोषागार गदरपुर	1	53469
		1	67189
		1	123513
2	उपकोषागार धारचूला	1	69912
3	उपकोषागार डीडीहाट	1	185327
		1	34167
4	कोषागार उधम सिंह नगर	1	63111
		1	110507
		1	158469
		1	70143
5	कोषागार हरिद्वार	6	1122516
6	उपकोषागार हरिद्वार	1	208736
7	कोषागार नरेन्द्रनगर	3	383837
8	कोषागार पौड़ी	5	1180605
9	कोषागार लैन्सडाउन	13	2727570
10	उपकोषागार भटवाड़ी	1	114489
	योग	39	6673560

(परिशिष्ट-14) पैरा-3.2.4(क)
कोषागारों के द्वितालक कक्ष में अनुपयोगी चैक बुकों का अनावश्यक भण्डारण का ब्यौरा।

क्रम सं०	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	चैक/ बुक
01	अल्मोड़ा	फारेस्ट सी०सी०एल०	45 बुक 90 चैक
		फारेस्ट डी०सी०एल०	28 बुक 92 चैक
		पी०डब्लू०डी० सी०सी०एल०	13 बुक 390 चैक
		पी०डब्लू०डी० डी०सी०एल०	26 बुक 211 चैक
		सिचाई सी०सी०एल०	33 बुक 72 चैक
		सिचाई डी०सी०एल०	32 बुक 11 चैक
		आर०ई०एस० डी०सी०एल०	06 बुक
		एम०आई डी०सी०एल०	09 बुक
		एम० आई सी०सी०एल०	09 बुक
		पी०एल०ए०	24 बुक 235 चैक
		आर०पी०ओ० बुक	17 बुक
		कोषागार चैक, उत्तराखण्ड	9500 चैक
		कोषागार चैक, उत्तर प्रदेश	350 चैक
		02	कोटद्वार
फॉरेस्ट (सी०सी०एल०) चैक बुक	03 बुक		
फॉरेस्ट (डी०सी०एल०) चैक बुक	15 बुक		
सिंचाई (सी०सी०एल०) चैक बुक	05 बुक		
सिंचाई (डी०सी०एल०) चैक बुक	05 बुक		
पी०डब्ल्यू०डी० (सी०सी०एल०) चैक बुक	03 बुक		
पी०डब्ल्यू०डी० (डी०सी०एल०) चैक बुक	13 बुक		
आर० ई० एस० (सी०सी०एल०) चैक बुक	03 बुक		
03	पौड़ी	पी०एल०ए० चैक बुक	43 बुक
		फॉरेस्ट (सी०सी०एल०) चैक बुक	24 बुक
		फॉरेस्ट (डी०सी०एल०) चैक बुक	23 बुक बुक
		संचाई (सी०सी०एल०) चैक बुक	20 बुक
		सिंचाई (डी०सी०एल०) चैक बुक	22 बुक
		पी०डब्ल्यू०डी० (सी०सी०एल०) चैक बुक	27 बुक
		पी०डब्ल्यू०डी० (डी०सी०एल०) चैक बुक	24 बुक
		आर० ई० एस० (डी०सी०एल०)	07 बुक

		चैक बुक	
		एम0आइ0 (सी0सी0एल0) चैक बुक	17 बुक
		एम0आइ0 (डी0सी0एल0) चैक बुक	16 बुक
		पी0एल0ए0 चैक बुक	08 बुक
		फॉरेस्ट (सी0सी0एल0) चैक बुक	10 बुक
		फॉरेस्ट (डी0सी0एल0) चैक बुक	32 बुक
		सिंचाई (सी0सी0एल0) चैक बुक	12 बुक
		संचाई (डी0सी0एल0) चैक बुक	18 बुक
04	लैंसडाउन	पी0डब्ल्यू0डी0 (सी0सी0एल0) चैक बुक	15 बुक
		पी0डब्ल्यू0डी0 (डी0सी0एल0) चैक बुक	21 बुक
		लो0नि0 विभाग सी0सी0एल0	10 बुक
		लो0नि0 विभाग डी0सी0एल0	10 बुक
		लघु सिंचाई विभाग सी0सी0एल0	11 बुक
		लघु सिंचाई विभाग डी0सी0एल0	19 बुक
		सिंचाई विभाग सी0सी0एल0	18 बुक
		सिंचाई विभाग डी0सी0एल0	19 बुक
		वन विभाग सी0सी0एल0	16 बुक
		वन विभाग डी0सी0एल0	13 बुक
		ग्रा0अ0 से0 विभाग सी0सी0एल0	39 बुक
		ग्रा0अ0 से0 विभाग डी0सी0एल0	9 बुक
		ट्रेजरी चैक	19 बुक
		पी0एल0ए0 चैक	19 बुक
		Repayment Order	10 बुक
		वन विभाग DCL	51 चैक
		सिंचाई विभाग CCL	18 चैक
		सिंचाई विभाग DCL	24 चैक
		लो0नि0वि0 CCL	06 चैक
		लो0नि0वि0 DCL	22 चैक
		Computer Miker	16500 चैक
06	हल्द्वानी	वैयक्तिक लेखा खाता चैक	09 चैक

(परिशिष्ट-15) पैरा- 3.2.4 (ख)

द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमुल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं कराने वाले कोषागारों की तालिका।

क्र० सं०	कोषागार	बहुमुल्य वस्तु संबंधित विभाग / प्राधिकारी	वस्तु का प्रकार	अन्तिम बार सत्यापन का दिनांक
1	नैनीताल	जिलाधिकारी, कार्यालय नैनीताल		19.09.2016
		जिलाधिकारी, कार्यालय नैनीताल		19.09.2016
		जिलाधिकारी, कार्यालय नैनीताल		19.09.2016
		पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई०, लखनऊ		19.09.2016
		जिला एवं सत्र न्यायाधीश		19.09.2016
		अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रशासन नैनीताल		19.09.2016
		उपजिलाधिकारी, कोश्याँकुटोली		19.09.2016
		जिलाधिकारी, कार्यालय नैनीताल		19.09.2016
		मुख्यचिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रय गोष्ठिया, नैनीताल		19.09.2016
		निरीक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमा० मण्डल		19.09.2016
		प्रभारी अधिकारी, भूलेख कृते, जिलाधिकारी नैनीताल		19.09.2016
				19.09.2016
				19.09.2016
				19.09.2016
				19.09.2016
		अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 पी०डब्ल्यू०डी०, नैनीताल		20.09.2016
		अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर, नैनीताल		20.09.2016
		अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी०डब्ल्यू०डी०, नैनीताल		20.09.2016
		द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नैनीताल		17.01.2017
				20.01.2017
		मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल		09.05.2017
				09.05.2017
		जिलाधिकारी, कार्यालय नैनीताल		29.08.2019
मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल		29.08.2019		
मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल		29.08.2019		
मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल		29.08.2019		
जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश के क्रम में कोषाधिकारी नैनीताल		29.08.2019		

		कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल		25.11.2019
2	हल्द्वानी	नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी	अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों का पैकेट	13.12.1998
		नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी	समूह 'ग' के अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों का पैकेट	13.12.1998
		नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी	समूह 'ग' से संबंधित एक शील्ड पैकेट जिसमें प्रश्न पत्र बताए गए हैं।	13.12.1998
		परगना अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल	एक छोटा टिन का डिब्बा जिसमें हेड़ाखान समाज के बहुमूल्य वस्तुओं का होना बताया गया है।	13.01.1992
		जिलाधिकारी, नैनीताल	एक महत्वपूर्ण शील्ड पैकेट जिसमें वाद संख्या 30/201-30/202 तल्ली हल्द्वानी की पत्रावली होना बताया गया है।	13.12.1995
		तहसीलदार, हल्द्वानी, नैनीताल	पटवारी परीक्षा से संबंधित परीक्षा का एक शील्ड पैकेट जिसमें उत्तर पुस्तिका होना बताया गया है।	02.05.2012
		नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, नैनीताल	एक छोटा टिन का शील्ड बक्सा जिसमें रामलीला चुनाव से संबंधित मत पत्र बताए गए हैं।	21.09.2010
		पुलिस अधीक्षक, उपसतर्कता अधिष्ठान सैक्टर, हल्द्वानी	एक शील्ड बक्सा जिसमें सोना, चांदी, रिवाल्वर आदि बहुमूल्य वस्तुएं बताई गई हैं।	25.01.2013
3	कोटद्वार	तहसीलदार, कोटद्वार	05 बक्से	13.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	01 बक्सा	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	02 बक्से	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	02 बक्से	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	1 शील्ड पैकेट	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	1 शील्ड पैकेट	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	01 बक्सा	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	02 बक्से	20.05.2016
		उप जिलाधिकारी, कोटद्वार	03 बक्से	20.05.2016
		रिटर्निंग ऑफिसर, दुगडडा कोटद्वार	02 बक्से	25.05.2016
		रिटर्निंग ऑफिसर, दुगडडा कोटद्वार	01 बक्सा	25.05.2016
		रिटर्निंग ऑफिसर, दुगडडा कोटद्वार	01 बक्सा	25.05.2016
		रिटर्निंग ऑफिसर, पौडी	05 बक्से	16.05.2014
		उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर	06 बक्से	16.05.2014

(परिशिष्ट-16) पैरा- 3.3.1

नई पेंशन स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार।

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	कोषागार, अल्मोड़ा	15	TM/TI/2019-20/SY-05
2.	उपकोषागार, अस्कोट	8	TM/TI/2019-20/SY-36
3.	कोषागार, रानीखेत	33	TM/TI/2019-20/SY-74
4.	उपकोषागार, डीडीहाट	94	TM/TI/2019-20/SY-37
5.	उपकोषागार, दन्या	3	TM/TI/2019-20/SY-06
6.	उपकोषागार, बेतालघाट	10	TM/TI/2019-20/SY-48
7.	उपकोषागार, रामनगर	19	TM/TI/2019-20/SY-52
8.	उपकोषागार, मुन्स्यारी	31	TM/TI/2019-20/SY-34
9.	कोषागार, उधमसिंह नगर	217	TM/TI/2019-20/SY-46
10.	कोषागार, हल्द्वानी	352	TM/TI/2019-20/SY-47
11.	उपकोषागार, गंगोली हाट	24	TM/TI/2019-20/SY-07
12.	उपकोषागार, धारी	10	TM/TI/2019-20/SY-49
13.	उपकोषागार, कोशियाकुटोली	08	TM/TI/2019-20/SY-50
14.	उपकोषागार, कालादुंगी	19	TM/TI/2019-20/SY-51
15.	उपकोषागार, बेरीनाग	42	TM/TI/2019-20/SY-32
16.	उपकोषागार, थल	10	TM/TI/2019-20/SY-33
17.	कोषागार, देहरादून	19	TM/TI/2019-20/SY-58
19.	कोषागार, नई टिहरी	9	TM/TI/2019-20/SY-69
20.	कोषागार, रूद्रप्रयाग	6	TM/TI/2019-20/SY-68
21.	उपकोषागार, कोटद्वार	116	TM/TI/2019-20/SY-71
22.	उपकोषागार, लैन्सडाउन	22	TM/TI/2019-20/SY-72
23.	उपकोषागार, कर्णप्रयाग	64	TM/TI/2019-20/SY-65
24.	उपकोषागार, घाट	20	TM/TI/2019-20/SY-66
25.	उपकोषागार, पोखरी	32	TM/TI/2019-20/SY-67
26.	कोषागार, उत्तरकाशी	193	TM/TI/2019-20/SY-16
27.	उपकोषागार, पुरोला	111	TM/TI/2019-20/SY-20
28.	उपकोषागार, दुण्डा	46	TM/TI/2019-20/SY-18
29.	उपकोषागार, बड़कोट	71	TM/TI/2019-20/SY-19
	योग	1604	

(परिशिष्ट-17) पैरा- 3.3.2
पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

(₹0 में)

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार /	पेंशनर की संख्या	देय राशि			कुल देय राशि (4) (1+2+3)	भुगतानित राशि			कुल भुगतानित राशि (8) (5+6+7)	अंतर (देय- भुगतानित) (4-8)	सम्बन्धि त निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	पिथौरागढ़	8			4937535	4937535			4042962	4042962	894573	SY-01
		1		1114031		1114031		1093208		1093208	20823	
2	देवलथल	2			470124	470124			443184	443184	26940	SY-02
3	नाचनी	2			589752	589752			506833	506833	82919	SY-03
4	गणार्ई गंगोली	4			1414552	1414552			1386656	1386656	27896	SY-04
5	अल्मोड़ा	4		3015771		3015771		2932463		2932463	83308	SY-05
6	दन्या	3		1468764		1468764		1404777		1404777	63987	SY-06
7	गंगोली हाट	3		1389928		1389928		1351549		1351549	38379	SY-07
8	ढुंगनाकुरी	6		2040408		2040408		2014147		2014147	26261	SY-08
9	पाटी	1		592350		592350		605831		605831	-13481	SY-11
10	टनकपुर	2	0			0	62156			62156	-62156	SY-12
11	काशीपुर	3	795883		3606400	4402283	1149063		3619873	4768936	-366653	SY-14
		1			371934	371934			479543	479543	-107609	
12	चम्पावत	1		1134854		1134854		1114031		1114031	20823	SY-09
13	गदरपुर	5			1654979	1654979			1689837	1689837	-34858	SY-19

14	बागेश्वर	2	93927		402518	496445	233180		598396	831576	-335131	SY-21
		4		3839798		3839798		3769343		3769343	70455	
		1			1452617	1452617			1245004	1245004	207613	
15	काण्डा	1			245440	245440			235857	235857	9583	SY-22
		1		230958		230958		226517		226517	4441	
16	गरूड	1		247464		247464		242839		242839	4625	SY-24
		1	53788			53788	122411			122411	-68623	
17	कपकोट	1			144352	144352			170640	170640	-26288	SY-23
		2	24480			24480	107760			107760	-83280	
		1		222469		222469		218387		218387	4082	
18	लमगढ़ा	4			2471887	2471887			2463184	2463184	8703	SY-26
19	ताकुला	2		1081122		1081122		1158416		1158416	-77294	SY-27
		4			716709	716709			668125	668125	48584	
20	द्वाराहाट	12			2834796	2834796			3195046	3195046	-360250	SY-28
21	चौखुटिया	9			5299574	5299574			5702865	5702865	-403291	SY-29
22	भिवियासेण	1		884400		884400	90602	904480		995082	-110682	SY-30
		7			1225260	1225260			1201251	1201251	24009	
23	मौलेखाल	2			811368	811368			810618	810618	750	SY-31
24	थल	1		660231		660231		625482		625482	34749	SY-33
25	मुनस्यारी	2		608664		608664		578235		578235	30429	SY-34
26	धारचूला	2		1257270		1257270		1228497		1228497	28773	SY-35
27	अस्कोट	1		904827		904827		880028		880028	24799	SY-36
28	डीडीहाट	3		1740117		1740117		1715001		1715001	25116	SY-37
29	ऊधमसिंह नगर	23		14687570		14687570		14414596		14414596	272974	SY-46

30	हल्द्वानी	9		9622655		9622655		9331397		9331397	291258	SY-47
		1	1253525			1253525	1249024			1249024	4501	
31	बेतालघाट	1	1320778			1320778		1337261		1337261	-16483	SY-48
32	धारी	2		1669717		1669717		1639080		1639080	30637	SY-49
33	कोश्याँकुटोली	1	1672338	1474032		3146370	1693208	1497064		3190272	-43902	SY-50
34	खटीमा	6			2332305	2332305			2397451	2397451	-65146	SY-53
		1		1070668		1070668		1212750		1212750	-142082	
35	सिंतारगज	9			3223800	3223800			3248253	3248253	-24453	SY-54
36	किच्छा	1	260533		1238160	1498693	429639		1424389	1854028	-355335	SY-55
		5			7463587	7463587			7441516	7441516	22071	
37	बाजपुर	2		851853		851853		857259		857259	-5406	SY-56
		7			2472875	2472875			2457023	2457023	15852	
		3	110259			110259	306293			306293	-196034	
38	देहरादून	6			4628402	4628402	136947		5130896	5267843	-639441	SY-58
39	ऋषिकेश	2			414863	414863	182411		420901	603312	-188499	SY-41
40	विकासनगर	2	64100			64100	292432			292432	-228332	SY-57
		3			2277489	2277489			1715957	1715957	561532	
41	मसूरी	12			4367715	4367715			4281302	4281302	86413	SY-42
42	त्यूनी	9			1384190	1384190			1233636	1233636	150554	SY-43
		1	0			0	23684			23684	-23684	
43	चकराता	2		350247		350247		329739		329739	20508	SY-44
		4	0			0	422587			422587	-422587	
		5			1924920	1924920			1866242	1866242	58678	
44	साईबर टेजरी, देहरादून	6		7278423		7278423		7144008		7144008	134415	SY-45
45	रूड़की	1			575389	575389			577024	577024	-1635	SY-76
46	लक्सर	2			933589	933589			932149	932149	1440	SY-40
47	नई टिहरी	5		6524428		6524428		4912861		4912861	1611567	SY-69

48	नरेन्द्रनगर	9		8375968	291200	8667168		8144511	34030	8178541	488627	SY-70
49	रुद्रप्रयाग	2		1375325	117106	1492431		1336764		1336764	155667	SY-68
50	निदेशक कोषागार	3		2281172		2281172		2102181		2102181	178991	SY-59
51	कोटद्वार	6		6327031		6327031		6209165		6209165	117866	SY-71
52	पौड़ी	15		13367471		13367471		13045934		13045934	321537	SY-73
53	लैन्सडाउन	6		5941680		5941680		5821652		5821652	120028	SY-72
54	चमोली	2			33820	33820					33820	SY-63
55	थराली	2			987734	987734			961261	961261	26473	SY-62
56	जोशीमठ	4			3327406	3327406			3259058	3259058	68348	SY-60
57	घाट	3			1030760	1030760			999181	999181	31579	SY-66
58	पोखरी	2			555842	555842			536266	536266	19576	SY-67
59	नारायणबगड	8		1742099	1871221	3613320		1751805	1886544	3638349	-25029	SY-61
60	उ.को. चमोली	2			180720	180720		0	143640	143640	37080	SY-64
61	उत्तरकाशी	2		1814687		1814687		1781390		1781390	33297	SY-16
62	पुरोला	2		818054		818054		790548		790548	27506	SY-20
63	भटवाड़ी	2			1551744	1551744		0	1514062	1514062	37682	SY-17
64	डुण्डा	1		991848		991848		972774		972774	19074	SY-18
65	बड़कोट	1		824505		824505		796620		796620	27885	SY-19
	कुल	314	5649611	109822859	71834634	187307104	6501397	107492590	70920655	184914642		

Note:- (-) Indicate Excess Payment

(परिशिष्ट-18) पैरा- 3.3.3
सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को कार्यालय डी0पी0डी0ओ0 देहरादून/
बैंक को हस्तान्तरित न करना।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	सैनिक पेंशनर
1	कोटद्वार	48
2	पौड़ी	171
3	लैन्सडाउन	137
4	कर्णप्रयाग	10
5	घाट	2
	योग	368

(परिशिष्ट-19) पैरा- 3.3.4

अन्य राज्यों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ कम या नहीं दिया जाना।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	राशि रू०	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार, देवलथल	1	अरुणाचल प्रदेश	5500	TM/TI/2019-20/SY-02
		1	मेघालय	4500	
2	उपकोषागार, गणई गंगोली	2	हरियाणा	5000	TM/TI/2019-20/SY-04
		3	अरुणाचल प्रदेश	5500	
3	कोषागार, अल्मोड़ा	11	बिहार	1000	TM/TI/2019-20/SY-05
		6	अरुणाचल प्रदेश	1000	
		1	हरियाणा	500	
4	उपकोषागार, दन्या	1	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-06
		1	बंगाल	300	
		3	बिहार	1000	
5	उपकोषागार, गंगोली हाट	2	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-07
		1	हरियाणा	1000	
6	उपकोषागार, दुंगनाकुरी	1	आन्ध्रप्रदेश	300	TM/TI/2019-20/SY-08
7	उपकोषागार, लाहोघाट	4	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-10
		2	बिहार	1000	
8	उपकोषागार, पाटी	1	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-11
		1	बिहार	1000	
9	उपकोषागार, टनकपुर	1	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-12
10	उपकोषागार, काशीपुर	4	हरियाणा	1000	TM/TI/2019-20/SY-14
		1	अरुणाचल प्रदेश	1000	
		1	नागालैण्ड	800	
11	कोषागार, चम्पावत	1	हरियाणा	1000	TM/TI/2019-20/SY-09
		4	अरुणाचल प्रदेश	1000	
12	कोषागार, बागेश्वर	3	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-21
13	उपकोषागार, कपकोट	9	हरियाणा	1000	TM/TI/2019-20/SY-23
14	उपकोषागार, लमगढ़ा	1	हरियाणा	1000	TM/TI/2019-20/SY-26
		2	अरुणाचल प्रदेश	1000	
15	उपकोषागार, ताकुला	1	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-27
16	उपकोषागार, द्वाराहाट	1	अरुणाचल प्रदेश	1000	TM/TI/2019-20/SY-28
		9	हरियाणा	1000	
		15	बिहार	1000	
17	उपकोषागार, चौखुटिया	8	बिहार	1000	TM/TI/2019-20/SY-29
		1	आन्ध्रप्रदेश	300	

18	उपकोषागार, भिकियासैण	4	हरियाणा	1000	TM/TI/2019-20/SY-30
		2	बिहार	1000	
19	उपकोषागार, मुनस्यारी	1	हिमाचल	350	TM/TI/2019-20/SY-34
20	उपकोषागार, धारचूला	1	गुजरात	300	TM/TI/2019-20/SY-35
21	कोषागार, ऊधमसिंह नगर	1	पंजाब	500	TM/TI/2019-20/SY-46
22	कोषागार, हल्द्वानी	1	बिहार	1000	TM/TI/2019-20/SY-47
		1	अरुणाचल प्रदेश	1000	
		3	हरियाणा	1000	
		2	हिमाचल प्रदेश	350	
24	उपकोषागार, चकराता	1	हरियाणा	7500	TM/TI/2019-20/SY-44
25	कोषागार, हरिद्वार	4	हरियाणा	8000	TM/TI/2019-20/SY-38
26	कोषागार, रूड़की	4	अरुणाचल प्रदेश	32500	TM/TI/2019-20/SY-76
27	कोषागार, नई टिहरी	2	बिहार	36218	TM/TI/2019-20/SY-69
		9	बंगाल	134400	
28	कोषागार, नरेन्द्रनगर	12	हरियाणा	120000	TM/TI/2019-20/SY-70
		1	बिहार	21110	
29	कोषागार, रूद्रप्रयाग	28	हिमाचल प्रदेश	43400	TM/TI/2019-20/SY-68
30	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	1	हरियाणा	10500	TM/TI/2019-20/SY-77
31	कोषागार, कोटद्वार	4	आन्ध्रप्रदेश	19600	TM/TI/2019-20/SY-71
32	कोषागार, पौड़ी	2	आन्ध्रप्रदेश	9800	TM/TI/2019-20/SY-73
33	कोषागार, लैन्सडाउन	9	बिहार	29550	TM/TI/2019-20/SY-72
		2	हरियाणा	20000	
		2		5000	
34	उपकोषागार, कर्णप्रयाग	1	हरियाणा	5000	TM/TI/2019-20/SY-65
		3	बिहार	39327	
		1	आन्ध्रप्रदेश	4900	
35	उपकोषागार, पोखरी	2	हरियाणा	10000	TM/TI/2019-20/SY-67
		2	बिहार	26218	
		1	हिमाचल प्रदेश	24850	
योग		211		661073/-	

(परिशिष्ट-20) पैरा- 3.3.5

10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

क्र.सं.	कोषागार/उपकोषागार	पेंशनरों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार, देवलथल	1	TM/TI/2019-20/SY-02
2	उपकोषागार, गदरपुर	1	TM/TI/2019-20/SY-15
3	उपकोषागार, सितारगंज	1	TM/TI/2019-20/SY-54
4	उपकोषागार, किच्छा	1	TM/TI/2019-20/SY-55
योग		04	

(परिशिष्ट-21) पैरा- 3.3.6

सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनरों की संख्या	निरीक्षण आख्या
1	उपकोषागार, गणई गंगोली	2	TM/TI/2019-20/SY-04
2	उपकोषागार, लाहोघाट	6	TM/TI/2019-20/SY-10
3	उपकोषागार, पाटी	1	TM/TI/2019-20/SY-11
4	कोषागार, चम्पावत	7	TM/TI/2019-20/SY-09
5	कोषागार, बागेश्वर	2	TM/TI/2019-20/SY-21
6	उपकोषागार, गरुड	14	TM/TI/2019-20/SY-24
7	उपकोषागार, द्वाराहाट	5	TM/TI/2019-20/SY-28
8	उपकोषागार, अस्कोट	1	TM/TI/2019-20/SY-36
9	कोषागार, ऊधमसिंह नगर	1	TM/TI/2019-20/SY-46
10	उपकोषागार, चकराता	4	TM/TI/2019-20/SY-44
11	कोषागार, हरिद्वार	3	TM/TI/2019-20/SY-39
12	कोषागार, रुड़की	5	TM/TI/2019-20/SY-76
13	कोषागार, नई टिहरी	11	TM/TI/2019-20/SY-69
14	कोषागार, नरेन्द्रनगर	7	TM/TI/2019-20/SY-70
15	कोषागार, पौड़ी	6	TM/TI/2019-20/SY-73
16	उपकोषागार, थराली	1	TM/TI/2019-20/SY-60
17	उपकोषागार, नारायणबगड़	3	TM/TI/2019-20/SY-61
	योग	79	

(परिशिष्ट-22) पैरा-3.3.7

पेंशनरों से स्रोत पर आयकर की कटौती न किये जाने की तालिका।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय आयकर+ सैस कटौती (₹ में)	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार, अल्मोड़ा	2	17290	TM/TI/2019-20/SY-05
2	कोषागार, बागेश्वर	3	21005	TM/TI/2019-20/SY-21
3	उपकोषागार, बेरीनाग	1	6126	TM/TI/2019-20/SY-32
4	कोषागार, हल्द्वानी	10	242500	TM/TI/2019-20/SY47
5	कोषागार, नई टिहरी	8	218770	TM/TI/2019-20/SY-69
6	कोषागार, नरेन्द्रनगर	5	67780	TM/TI/2019-20/SY-70
7	कोषागार, रूद्रप्रयाग	2	3822	TM/TI/2019-20/SY-68
	योग	31	577293	

(परिशिष्ट-23) पैरा- 3.3.8

डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं०	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1	कोषागार, पिथौरागढ़	4	TM/TI/2019-20/SY-01
2	उपकोषागार, देवलथल	3	TM/TI/2019-20/SY-02
3	कोषागार, अल्मोड़ा	10	TM/TI/2019-20/SY-05
4	उपकोषागार, ढुंगनाकुरी	10	TM/TI/2019-20/SY-08
5	उपकोषागार, गंगोली हाट	10	TM/TI/2019-20/SY-07
6	उपकोषागार, गदरपुर	7	TM/TI/2019-20/SY-15
7	उपकोषागार, बेरीनाग	10	TM/TI/2019-20/SY-32
8	उपकोषागार, थल	5	TM/TI/2019-20/SY-33
9	उपकोषागार, मुनस्यारी	8	TM/TI/2019-20/SY-34
10	उपकोषागार, धारचूला	10	TM/TI/2019-20/SY-35
11	उपकोषागार, अस्कोट	4	TM/TI/2019-20/SY-36
12	उपकोषागार, डीडीहाट	10	TM/TI/2019-20/SY-37
13	कोषागार, ऊधमसिंह नगर	10	TM/TI/2019-20/SY-46
14	कोषागार, हल्द्वानी	10	TM/TI/2019-20/SY-47
15	उपकोषागार, बेतालघाट	10	TM/TI/2019-20/SY-48
16	उपकोषागार, धारी	10	TM/TI/2019-20/SY-49
17	उपकोषागार, कोश्याँकुटोली	10	TM/TI/2019-20/SY-50
18	कोषागार, नैनीताल	9	TM/TI/2019-20/SY-75
19	कोषागार, रूडकी	10	TM/TI/2019-20/SY-76
20	कोषागार, नई टिहरी	10	TM/TI/2019-20/SY-69
21	कोषागार, नरेन्द्रनगर	8	TM/TI/2019-20/SY-70
22	कोषागार, रूद्रप्रयाग	15	TM/TI/2019-20/SY-68
23	भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	3	TM/TI/2019-20/SY-77
24	उपकोषागार, कर्णप्रयाग	10	TM/TI/2019-20/SY-65
25	उपकोषागार, घाट	4	TM/TI/2019-20/SY-66
26	उपकोषागार, नारायणबगड	9	TM/TI/2019-20/SY-61
27	उपकोषागार, भटवाड़ी	10	TM/TI/2019-20/SY-17
28	उपकोषागार, डुण्डा	10	TM/TI/2019-20/SY-18
	योग	239	